उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
गुरूवार 20 बैशाख, शक संवत्, 1923
(दिनांक : 10 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1– अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी (क))

2– सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।

3– मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।

4– विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।

5– कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।

6– वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान :–

1– संसदीय कार्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 46770 हजार (चार करोड़ सड़सठ लाख सत्तर हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(विवाद नहीं होगा)

2– संसदीय कार्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–3, मंत्रि परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 26250 हजार (दो करोड बासठ लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(विवाद नहीं होगा)

3— संसदीय कार्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1341162 हजार (एक अरब चौंतीस करोड ग्यारह लाख बासठ हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

4— संसदीय कार्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 913284 हजार (इक्यानबे करोड बत्तीस लाख चौरासी हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

5— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—4, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 166674 हजार (सोलह करोड़ छियासठ लाख चौहत्तर हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(विवाद नहीं होगा)

6— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—5, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 32856 हजार (तीन करोड़ अट्ठाइस लाख छपपन हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

7— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—8, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 28656 हजार (दो करोड़ छियासी लाख छपपन हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

8— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—9, लाकसेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 5506 हजार (पचपन लाख छः हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(विवाद नहीं होगा)

9— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1337957 हजार (एक अरब तैंतीस करोड़ उन्यासी लाख सत्तावन हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

10— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 5213576 हजार (पांच अरब इक्कीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

11— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1849497 हजार (एक अरब चौरासी करोड़ चौरानबे लाख सत्तानबें हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

12— मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 82452 हजार (आठ करोड़ चौबीस लाख बावन हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

...........4 /—

13– मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 2840701 हजार (दो अरब चौरासी करोड़ सात लाख एक हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

14– मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 141139 हजार (चौदह करोड़ ग्यारह लाख उन्चालिस हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

7– हरिद्वार जनपद के महाविद्यालयों का सम्बद्धीकरण हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) से किए जाने के सम्बंध में श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

8– देहरादून नगर क्षेत्र में सीवर के निस्तारण हेतु सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में श्री हरवंश कपूर, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

9– नियम–103 के अन्तर्गत श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तरांचल में रोज़गारपरक व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में एक केन्द्रीय विद्यालय की शीघ्र स्थापना की जाए।''

10— नियम—103 के अन्तर्गत श्री अम्बरीष कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि तीर्थ यात्रा काल में हरिद्वार में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक मेला काल अधिसूचित किया जाये तथा यात्रियों को मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका परिषद को मानकानुसार धन उपलब्ध कराया जाए।"

11— नियम—51 के अन्तर्गत सूचनाऐं, यदि कोई हों।

देहरादून।

आज्ञा से,

दिनांक : 10 मई 2001

(महेश चन्द्र)
सचिव

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
दूसरा गुरू

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
गुरूवार 20 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 10 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

नत्थी (क)

—: तारांकित प्रश्न :—

श्री राम सिंह सैनी
15—3—2001

* 1— क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ही मुख्य स्थान दिलाये जाने हेतु सरकार कोई नीति तैयार कर रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और उस पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

स्वास्थ्य

श्री अम्बरीष कुमार
18—4—2001

* 2— क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत लिए नमूनों की जांच की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आई. डी. पी. एल. वीरभद्र, ऋषिकेश की प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच कराने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य

श्री लाखी राम जोशी
2—3—2001

* 3— क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डल स्तर के सभी विभागीय कार्यालयों को समाप्त करने की दिशा में पिछले चार माह की अवधि में क्या—क्या निर्णय सरकार द्वारा लिए गये हैं ? क्या लिए गये निर्णय कार्यान्वित कर दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

17वें सोम के ता0 3 में स्था0

—: अतारांकित प्रश्न :—

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
22—2—2001

1— क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1985—86 में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के सीमा से लगे पनार नामक स्थान पर विश्व बैंक की सहायता से 600 करोड़ की लागत की हरियाली एवं वन्यजीव अभ्यारण की स्थापना हेतु दीर्घकालीन बहुद्देशीय पनार जलागम परियोजना का निर्माण शुरू किया गया था परन्तु वर्तमान में उक्त क्षेत्र में निर्माण का कोई अवशेष नहीं बचा है ? यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना जो कि नवसृजित उत्तरांचल राज्य के हिस्से में है ? उसके निर्माण न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जलागम प्रबंधन

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ख)

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या :–8, आबकारी

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो0 मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिंह सैनी
डा0 इन्दिरा ह्रदयेश

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

.........2/–

अनुदान संख्या :-10, पुलिस एवं जेल विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :-13, जलापूर्ति, सफाई एवं आवास विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

..........3/-

अनुदान संख्या :—14, सूचना विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :—20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :—21, ऊर्जा विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :-22, लोक निर्माण विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :-24, परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिंह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।